न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 55 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
हनुमानराम पुत्र भगाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी नया भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर		1. आईदानराम पुत्र बगताराम उम्र 40 वर्ष 2. रूखमों पत्नी चुतराराम उम्र 48 वर्ष 3. हेमाराम पुत्र गोकलाराम उम्र 64 वर्ष जाति जाट निवासी नया भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107 / 2018 बआनवान आईदानराम वगै. बनाम हनुमानराम में पारित आदेश दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश एन. सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भोमाराम सियाग रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1008 / 138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा ग्राम नया भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1055 / 145 मौजा नया भुरटिया प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे प्रार्थीगण को अवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट के नाम से नोटिस जारी करने का कोई हवाला नहीं दिया गया है तथा न ही आदेशिका में नोटिस जारी करने का हवाला दिया तथा न ही नोटिस जारी करने बाबत कोई इनवर्ड नम्बर अंकित है तथा प्रकरण पेश करने की तारीख 26.04.2018 से 11.09.2019 तक पत्रावली उत्तरदातागण को बार बार नोटिस पेश करने की हिदायत के साथ आदेशिका संधारित होती रही तथा दिनांक 11.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये परन्तु नोटिस भेजने बाबत कोई रसीद या नोटिस प्राप्ति रसीद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नहीं है जबकि अपीलांट को नोटिस कभी भी कोई लेकर अपीलांट के घर नहीं आया तथा न ही अपीलांट को जानकारी दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की गई है तथा न ही तामील कुन्निदा के बयान करवाये गये है तथा न ही उनसे कोई शपथ–पत्र लिया गय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से 03 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 20–25 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने मौके पर आकर अपीलांट के खेत में से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुऐ जिस पर अपीलांट ने मना किया तो उत्तरदातागण ने धमकी दी कि हमने आपके खेत मे से कोर्ट के जरिये रास्ता निकाल लिया है तथा अब मौके पर रास्ता निकालेगें जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश दिनांक 16.08.2021 को नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर सम्यक तामील नहीं होने का कथन किया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन की परत से यह साबित होता है कि अपीलांट के नाम सम्मन भिजवाया गया जिस पर अपीलांट के पुत्र से तामील करवाई गई जो तामील की तारीफ में आते है। इसलिए अपीलांट का उपरोक्त आधार निराधार एवं कपोल कल्पित है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटरा की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटरा को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 04.07.2019 में स्पष्ट किया गया है कि "वादीगण को अपने घर से सड़क तक आने जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के अलावा सबसे कम दूरी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है।" रेस्पोडेंटरा/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2018 बअनवान आईदानराम वगै. बनाम हनुमानराम में पारित आदेश दिनांक 11.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रमिला पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर